शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

मानक शर्तें

(वन अनुभाग—3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या—7314 / 14—3—1980 / 02, दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व की भाँति संरक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।

2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं ।

3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।

4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जायं मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि नहीं है ।

5- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन विभाग भूमि को किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।

6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा ।

7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन्य जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित किया जाये । केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी ।

9- सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग कर्मचारियों को निशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा ।

11- सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं0 608 / सी दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूलीफर बदलकर पक्का करना होगा। वशर्तें ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

Reliance BP Mobility Limited.
Corporate Office: Reliance Corporate Park, 5C, Second Floor, Thane Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai 400 701, India.
Registered Office: Maker Chambers IV, 3rd Floor, 222 Nariman Point, Mumbai - 400 021, India. CIN: U50100MH2015PLC327401

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगी जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13- वनभूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ का रोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निधारित किये जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000 मी0 एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निविद्ध है । इसी प्रकारण ब्रॉज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है । ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही हो सकेगा ।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जायेगा । यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी । जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है ।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू—रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, जो ऐसा याचक जाने व्यय करेगा ।

17. ऊपर लिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी ।

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जायं अथवा उनका सूचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये ।

मैं रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्ते मान्य है । अतः उनका अनुपालन किया जायेगा ।

स्थान :—

दिनांक :— 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

भूमि—स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वन भूमि का भू—स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का है। सम्पर्क मार्ग (आगम एवं निर्गम) के निर्माण हेतु चीफ जनरल मैनेजर रीजनल ऑफिस ,एन एच ए आई जयपुर भारत सरकार द्वारा पत्रांक संख्या NHAI /18011 /2020 - ROJ /Access -R O - P P / 62 /NH -21 ,k m 41 .293/1861 Date 23 .09 .2020 द्वारा अनुमति प्राप्त है ।

स्थान :—

दिनांक :— 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

JUSTIFICATION FOR THE USE FOREST LAND

It is to certified that Reliance BP Mobility Limited Gurgaon, Reliance House, RK Four Square Building No. - 4, DLF Cyber city, Phase no-2, Gurgaon- 122002, Haryana India has allotted a New Retail Outlet at Khasra no.-651 , at KM 42, Ch.41.293 on LHS of Agra-Bharatpur Road, NH-11 (NEW NH-21), Village-Chauma Shahpur, Tehsil-Kiraoli, District-Agra (UP).

The project envisages the Use of forest Land for the construction of approach Road to (ie. Entry-Exit &Buffer zone) to Reliance BP Mobility Limited new Retail Outlet for diversion (under FCA 1980) of 0.1790312 hectare of protected forest land for non-forestry purpose.

The requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable due to non-availability of any alternate Land and is barest minimum required for the project.

Date:- 24.09.2020

Place: -

(Signature of user agency)

Office seal

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

लीज अवधि सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वन भूमि का भू—स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का है। उक्त संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में लीज की आवश्यकता नहीं है।

स्थान :—

दिनांक :— 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

मक डिसपोजल सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन एच—11 (न्यू एन.एच.—21) किमी.. 42 (चैनेज —41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट—लेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। उक्त संरक्षित वनभूमि में खुदान कार्य के पश्चात् उससे उत्पन्न अवयवों/कूड़ा—कर्कट हेतु मक डिस्पोजन प्लान का विवरण निम्न प्रकार है :—

Disposal/Management plant

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, much disposal/management plan has to be prepared.

Should include:-

1. Calculation of muck to be generated. Self factor has to be applied. N.A.
2. Quantity of muck to be utilized in the project activities. N.A.
3. Balance quantity of muck, which requires disposal/management plan. N.A.
4. Carriage of muck from the much generation site in the dumping site. N.A.
5. Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land. N.A.
6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) N.A.
7. Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. N.A.
8. Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species- After construction work of Approach Road will be done.

   Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that

1. Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan; they will be liable to penalty/action at their cost.
2. The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.

प्रभागीय निदेशक

Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः–जनपद आगरा में आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11(न्यू एन. एच. –21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः–

दिनांकः–

कार्य प्रारम्भ न करने की वचनबध्दता

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा –भरतपुर मार्ग एन. एच.–11(न्यू एन. एच.–21) किमी.42 (चैनेज 41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट–लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर लागू नियम एवं शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

एन. पी .वी . वचन बध्दता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन.एच.—11 (न्यू एन.एच.—21) किमी. 42 (चैनेज—41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट—लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के भुगतान करने हेतु याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड वचनबद्ध है तथा भविष्य मे वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसका अनुपालन याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

वन स्वरूप क्षेत्रों की भूमि सम्मिलित न होने का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच. —11(न्यू एन. एच. —21) किमी.42 (चैनेज—41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट—लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर न्यू रिटेल आउट—लेट स्थापना हेतु आवेदित संरक्षित वनभूमि 0.1790312 हेक्टेयर के अतिरिक्त चिन्हित वनस्वरुप क्षत्रों की भूमि सम्मिलित नहीं है।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

रोजगार प्रदान करने का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन एच —11 (न्यू एन एच —21) किमी. 42 (चौनेज —41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउटलेट स्थापना से नियमित एवं गैर नियमित जनसंख्या को रोजगार प्रदान किया जायेगा एवं उक्त मार्ग पर गुजरने वाले वहाँ स्वामियों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर शुद्ध पैट्रोल, डीजल ईधन को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-268/ 2014—एफ.सी. दिनांक 11/07/2014 में उल्लिखित सभी बिंदुओं की शर्तों का अनुपालन याचक विभाग रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा पर न्यू रिटेल आउट—लेट स्थापना हेतु संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य में किया जायेगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11- 09/98—एफ. सी. दिनांक 21/08/2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन याचक विभाग रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउट—लेट की स्थापना हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में किया जायेगा।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र

याचक रिलायंस बी. पी. मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11 (न्यू एन.एच.—21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट स्थापना के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में खुदान प्रस्तावित नहीं है प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन एच —11 (न्यू एन एच —21) किमी.. 42 (चैनेज —41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट—लेट सम्पर्क मार्ग किनारे स्थित संरक्षित वनभूमि की सीमा से लगा है।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन एच—11 (न्यू एन.एच.—21) किमी.. 42 (चैनेज —41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट—लेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि है जिसके निरिक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना हेतु उपरोक्त भूमि वनभूमि न्यूनतम है, एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

आवेदित संरक्षित वनभूमि की गणना के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन एच—11 (न्यू एन एच —21) किमी..42 (चैनेज —41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट—लेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली आवेदित संरक्षित वनभूमि की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लेआउट प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप करी गयी है।

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

लाभाविन्त होने वाले ग्रामों की सूची

प्रमाणित किया जाता है कि याचक रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन एच —11 (न्यू एन एच —21) किमी. 42 (चौनेज —41.293) के बायीं पटरी पर खसरा संख्या 651 पर न्यू रिटेल आउट—लेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा, जिससे क्षेत्र में यातायात साधन एवं कृषि कार्य हेतु पेट्रोल, डीजल शुद्ध एवं पूर्ण सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाएगा, परियोजना निर्माण पश्चात नियमित एवं गैरनियमित जनसख्या को रोजगार मिलने का अवसर प्रात होगा जिससे क्षेत्र में सामजिक एवं आर्थिक विकास संभावित है।

लाभाविन्त होने वाले ग्रामों की सूची निम्नवत है

1. **गिलोय**
2. **बण्डपुरा**
3. **कराही**
4. **चौमा शाहपुरा**

दिनांक Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

CERTIFICATE FOR MINIMUM USE OF FOREST LAND

This is to certify that the forest area involved in the Proposed Reliance BP Mobility Limited. New Retail Outlet at on Agra-Bharatpur Road NH-1 (NEW NH-21) KM 42, CHAINAGE 41.293, Khasra No.-651, Village – Chauma Shahpur, Tehsil- Kiraoli, District- Agra, unavoidable and barest minimum forest area 0.1790312 hectare area is proposed for diversion.

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

Place: ....

Date: Date : 24.09.2020

Signature of User Agency

Office Seal

Countersigned –

Divisional Forests Officer

..................Forest Division

Office seal.......................

शीर्षकः–जनपद आगरा में आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11(न्यू एन. एच. –21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः–

दिनांकः–

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I / We **Reliance BP Mobility Limited** have applied for the diversion of 0.1790312 ha. of forest area for the purpose construction of approach road to New Retail Outlet on Agra-Bharatpur Road NH-11 (NEW NH-21) KM 42, Chainage 41.293, at Khasra No.- 651, Village – Chauma Shahpur, District- Agra, (U.P.).

I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place: ....
Date: Date : 24.09.2020

Signature of User Agency
Office Seal

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

Counter signed by: -

Divisional Forests Officer
.... Forest Division
Office Seal_______________

शीर्षक:–जनपद आगरा में आगरा–भरतपुर मार्ग एन. एच.–11(न्यू एन. एच. –21) कि.मी. 42 (चैनेज–41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट–लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या:–

दिनांक:–

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF COST OF COMPENSATORY AFFORESTATION

I/ We RELIANCE B P MOBILITY LIMITED. Hereby, undertake to pay the entire amount for compensatory afforestation in lieu of the forest area diverted for the construction of approach road to New Retail Outlet on Agra-Bharatpur Road NH-11 (NEW NH-21) Village- Chauma Shahpur, Tehsil- Kiraoli, and District- Agra as per prevailing wage rates at the time of plantation.

Place: ....

Date: Date : 24.09.2020

Signature of User Agency

Office Seal

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)

Counter signed by: -

Divisional Forests Officer

..........................Forest Division

Office Seal_____________

शीर्षकः—जनपद आगरा में आगरा—भरतपुर मार्ग एन. एच.—11(न्यू एन. एच. —21) कि.मी. 42 (चैनेज—41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउट—लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्याः—

दिनांकः—

बिना वृक्ष पातन पैट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य करने की वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा ।

स्थान :—

दिनांक :— Date : 24.09.2020

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SURAJ VIKASH
State Head-UP(W) & Uttarakhand
Reliance BP Mobility Limited
Reliance House, R K Four Square
DLF Cyber City, 2nd Floor, Building No. 4
Gurugram - 122002 (Haryana)